

**अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0-04 / 2026-27**  
(केवल ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा वेबसाईट-[www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता – नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि – दिनांक 22/06/2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि – दिनांक 10/07/2026 से 20/07/2026 के 15:00 बजे तक  
(on website-[www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
4. प्री बिड मीटिंग का समय/स्थान/तिथि – दिनांक-13/07/2026 समय-12.00 बजे,  
स्थान – कार्यालय, नगर निगम भागलपुर।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय – 21/07/26 को 15:30 बजे के बाद  
(on website-[www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))
6. पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश, पत्रांक-07/नियम-01-02/2023- दिनांक-10.01.2024 के अनुसार
  1. निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्डकॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
  2. अग्रधन की राशि ऑनलाईन पेमेंट या बैंक गारंटी के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे-सभी शपथ पत्र (मूल में), बैंक गारंटी (मूल में) एवं अन्य कागजात एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

7. कार्य का विवरण –

नगर निगम भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बरारी शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह जो वर्तमान में यंत्रों में खराबी आ जाने के कारण विद्युत शवदाह गृह बंद अवस्था में है। विद्युत शवदाह गृह में खराब पड़े यंत्रों को मरम्मत किया जाना आवश्यक है। .....वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत एजेंसी/संवेदक/आपूर्तिकर्ता/ Service Provider/बिक्रेता से नगर निगम भागलपुर में विद्युत शवदाह गृह में खराब पड़े यंत्रों को मरम्मत एवं सभी संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य (उद्धृत दर सभी करों सहित होगा)

Serial no	List of material	Unit	QTY	Rate of Quantity (with GST)	Total
1	SUPPLY OF HEATING ELEMENT WITH REQUIRED ACCESSORIES IF ANY	PCS	12	56640.00	679680.00
2	SUPPLY OF TEMPERATURE CONTROLLER	NO	1	29500.00	29500.00
3	SUPPLY OF CERAMIC BLANKET WITH ACCESSORIES	LOT	15	29500.00	442500.00
4	SUPPLY OF CERAMIC ROPE	LOT	24	1475.00	35400.00
5	SUPPLY OF STAINLESS STEEL ROD 310 GRADE FOR FABRICATION OF HEARTH	LOT	1	265500.00	265500.00
6	SUPPLY OF HEATING ELEMENT BRICK	PCS	85	1829.00	155465.00
7	SUPPLY OF REFRACTORY CASTABLE FOR RECTIFICATION OF REFRACTORY WORK	BAG	4	2360.00	9440.00
8	SUPPLY OF REFRACTORY INSULATION MORTER FOR REFRACTORY WORK	KG	300	118.00	35400.00

	DISMANTLING CLEANING ,OVERHAULING,INCLUDING SUPPLY OF DAMAGE PART REPLACEMENT /REPAIRING OF DOOR MECHANISM	LOT	1	29500.00	29500.00
10	DISMANTLING CLEANING ,OVERHAULING,INCLUDING SUPPLY OF DAMAGE PART REPLACEMENT /REPAIRING OF BLOWERS	LOT	1	177000.00	177000.00
11	Furnace, Trolley, Panel, Blowers Painting Work	LOT	1	35400.00	35400.00
12	SUPPLY OF THERMOCOUPLE AND COMPENSATING CABLE	LOT	1	11800.00	11800.00
13	DISMANTLING CLEANING ,OVERHALING & ERECTION CHARGE	LOT	1	177000.00	177000.00
14	Supplyof MS fabricated plate 5mm thick for door rectification	SET	1	94400.00	94400.00
15	Panel rectification and overhauling work including replacement of replacement of required accessories if any except temperature controller	LOT	1	472000.00	472000.00
16	Supply of SS fabricated flue duct with accessories	SET	1	118000.00	118000.00
17	Reparing of Chimeny Including Intenal & External And Repair		1	590000.00	590000.00
18	Exhaust Fan\	PCS	7	7670.00	53690.00
	Total Amount	-	-	-	3411675.00

नोट :- 1. Bidders should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)

08. निविदा की वैधता अवधि – 120 दिन
09. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को “Bid Processing Fee“ निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- (1) “Bid Processing Fee” is mandatory to be paid through online mode i.e internet payment gateway (credit/debit card), Net Banking, NEFT/RTGS.
  - (2) “Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of interest Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason.”
10. कोई भी संवेदक/एजेंसी/आपूर्तिकर्ता/Service Provider जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के है, निविदा में भाग ले सकते हैं।
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) अथवा [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) में देखा जा सकता है।
12. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेंडरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी।

यह उन्हें (www.eproc02.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या 0612-2523006, मो0 संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

14. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि :-

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।

(ख) किसी संवेदक का कार्य के निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

15. परिमाण विपत्र का मूल्य-

उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य मो0-5000.00/- (जो लौटाया नहीं जायेगा) केवल ऑनलाईन मोड (Online Mode) में ही स्वीकार किया जाएगा साथ ही साथ अग्रधन की राशि रूपयें-68235.00 ऑनलाईन मोड (Online Mode) में स्वीकार किया जाएगा

16. (1.) अग्रधन-

(क) अग्रधन की राशि ऑनलाईन मोड (Online Mode) में वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) के माध्यम से या बैंक गारंटी के द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक गारंटी किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होना चाहिए तथा नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर (MC,BMC, Bhagalpur)के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

17. सशर्त कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा। नियमानुसार विपत्र से सभी करों की कटौती की जायेगी। विशेष परिस्थिति में आपूर्ति की जानेवाली सामग्री की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। उद्धरणकर्ता को सामग्री आपूर्ति का कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर पर करना होगा।

18. सामग्री आपूर्ति के लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

19. स्वीकृत निविदादाता को कार्य का आवंटन उद्धृत कुल राशि के आधार पर किया जायेगा।

20. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वे कार्य की प्रकृति से भली भाँति परिचित हो लें। किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

21. विपत्र का भुगतान कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर निगम क्षेत्र, भागलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

22. स्वीकृत निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात् एक हजार के स्टॉम्प पेपरपर एकरारनामा करना होगा।

23. निविदा कागजात:-

(क) वैद्य निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति

(घ) अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष-2023-24/2024-25/2025-26 में किसी एक वर्ष का)

(ङ) एंटीकॉर्प्टर, गेट निबंधन प्रमाण पत्र (GST)

(i) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/वरीय आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होने चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है।

(ii) पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राईम पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(iii) जिस संवेदक के आचरण/चरित्र प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(iv) जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है, उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छह माह ही मानी जाएगी।

(छ) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) एवं अपलोड एवं एकरारनामा से पूर्व जमा करना होगा।

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी

श्री..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—

(अ) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ब) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर किसी कार्यो को विखंडित (Rescinded) नहीं किया गया है।

(स) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(द) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(प) उपर्युक्त कंडिकाओं अ,ब,स,द एवं प में गलत सुचना देने को दोषी पाये जाने अथवा निविदा में कोई भी अभिलेख असत्य, नकली, जाली, पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध विवि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

24. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

नगर आयुक्त  
नगर निगम, भागलपुर

22/6/16